

## फार्म-क

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-२ के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

### भाग-१

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1) परियोजना विवरण:- दीपका विस्तार परियोजना (25 MTY) दीपका क्षेत्र, एस.ई.सी.एल.

i) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण ।

परियोजना से संबंधित जानकारी संलग्न है । पृष्ठ क्रमांक- से

ii) 1:50,000 स्केल मेप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों को सीमाओं को दर्शाने वाला मेप संलग्न है ।

iii) परियोजना की लागत- रु. 1769.05 करोड़ (लगभग) प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25 MTY के अनुसार

iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।

### राष्ट्रीय विकास हेतु कोयला उत्पादन

v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)  
संलग्न है ।

vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।

भू- अजंतन से प्रभावित भू-स्थानी को रोजगार, औद्योगिक विकास एवं आदिवासी अंचल के विकास

2/ कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण- 0.093 हेक्टेयर कोयला खुली खदान हेतु ।

3/ परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है ।

i) परिवारों की संख्या

1660 (लगभग)

ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या-

950 परिवार (लगभग)

iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :


संलग्न है । पृष्ठ क्र.


// 2 //

- 5/ प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण लागत कमाक साथ-साथ सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि मे पुनःवनीकरण की वचनबद्धता संलग्न की जाये ।

वचनपत्र संलग्न है

- 6/ निदेशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा ।  
संलग्न है ।

  
महाप्रबोधक  
दीपका विस्तार परियोजना

  
हस्ताक्षर  
( \_\_\_\_\_ )  
  
पदनाम:  
पता-

तिथि:- २५/५/१७

स्थान:-

Kalghora

✓ वन मण्डलाधिकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा  
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या  
( प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा )

A-४६

**वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव**  
 (भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार) (पृष्ठा १८२)

भाग - 2

(संबन्धित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)  
 प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7. परियोजना / स्कीम का स्थान

1) राज्य / संघ शासित क्षेत्र

2) ज़िला

3) वन भाग

4) वनेश्वर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.) - 0.093 हेक्ट.

5) वन की कानूनी स्थिति - राजस्व वनक्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) 0.093 हे.

हरिहरी का घनत्व - 0.1 + 0.2

6) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए।

7) भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।

भूमि ज्यादातर समतल, भूमिक्षरण न्यूनतम ।

8) वनेश्वर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।

वन की सीमा से प्रस्तावित स्थल की अनुमानित दूरी 2.6 कि.मी. है ।

9) क्या फॉर्म राष्ट्रीय उदद्यान, वनजीवन अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है । (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)

नहीं

10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।

नहीं

11) क्या कोई सुरक्षित पुरातीय / पारंपरिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।

नहीं

12) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग- 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।

अपरिहार्य एवं न्यूनतम

- दीपका विस्तार परियोजना

- छत्तीसगढ़

- कोरबा

- कटघोरा

- 13) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई किया भया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।  
नहीं।
- 14) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा संलग्न है। गेवरा क्षेत्र के 112.30 है. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के साथ संलग्न है।
- 15) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारण वनेत्तर क्षेत्र। अवक्रमित वनक्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी एवं भूखण्ड की संख्या एवं आकार संलग्न है।
- 16) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं की दर्शता मैप। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेत्तर क्षेत्र आसपास के व सीमाओं को दर्शता मैच संलग्न है।
- 20) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि। रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत ढाँचा आदि। विवरण संलग्न है।
- 21) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए वित्तीय परिव्यय। संलग्न किया जाता है।
- 22) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उपवन वनसंरक्षण द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।) प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए, क्षेत्र उपयुक्त है। संलग्न है।

- 23) जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (11, 12), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)  
राष्ट्रीय उद्यान वनजीवन अध्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर नहीं है।  
आवेदित 0.093 है. वनभूमि में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ। संकटापन्न प्रजातियाँ नहीं पाई जाती हैं।  
0.093 है. वनभूमि में कोई भी महत्वपूर्ण स्मारक पुरातत्कीय। पारम्परिक स्थल स्थित नहीं है।

दिनांक - २५/४/१७  
स्थान - Kalghora

हस्ताक्षर *82*  
नाम वन मण्डलाधिकारी  
सरकारी मोहर चोरा वनमण्डल, कट्ठोरा

### प्रपत्र - 3

## वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक / व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम	:	दीपका विस्तार परियोजना
2. आवेदक / आवेदक विभाग का नाम	:	महाप्रबंधक, दीपका क्षेत्र
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	:	कोल खनन हेतु
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला वन मंडल परियोजना स्थल कोरबा कटघोरा दीपका विस्तार परियोजना
5. वन भूमि का विस्तृत विवरण	:	वन खंड कक्ष क्र. आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
.....		
क. आरक्षित वन	:	
ख. सीमांकित संरक्षित वन	:	
योग :		
	ग्राम का नाम	खसरा क्र.
	सुवर्भुडी	288/1
योग :		0.093 हे0
		0.093 हे0
		0.093 हे0
कुल योग :		
6. आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	:	साल / सागौन / मिश्रित साइट क्वालिटी - I / II / III / IVA / IVB / V
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:	घनत्व - 0.4 तक / > 0.4 से 0.6 / > 0.6 निरंक - प्रजाति कुल वृक्षों की संख्या
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	:	लागू नहीं है।
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. / वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	:	2.6 कि.मी.

10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्ययन, अभ्यारण्य, बायोस्फेरर रिजर्व, प्राकृतिक झील / वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत हैं अथवा नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें। नहीं।
11. आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैरवन क्षेत्र विकल्प रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जायें।) नहीं।
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया हैं या नहीं? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण देवे। नहीं।

### प्रमाण - पत्र

उपरोक्त जानकारी / विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशसा की जाती / नहीं की जाती है।

निरीक्षण स्थल : ..... *Kalghora* .....

दिनांक : ..... *१५/५/१७* .....

वन संरक्षक / व.म.अ. के हस्ताक्षर  
वन मरुष्टाकारी  
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा  
वृत्त / ..... वन मडल  
मय सील